न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0/ई-कोर्ट रजि0 नं0 202106100100046 अ-20 (3) वर्ष 2020-21
संस्थित दिनांक 09/06/2021

शासन -- आवेदक
द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग
विरूद्ध
1- भैयालाल /साहेबुआ निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
2- यास्मिन / परवीन निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
3- नरोत्तम /दुलार सिंह निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
4- मानसिंह / बनउनाथ निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
5- रामकुमार /फूलसिंह निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
6- पुनमचंद/सुन्दरलला निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
7- देवयती लाटिया निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
8- गायत्रीबाई /गोपीराम निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
9- विद्या देवांगन /महानंद निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
10- बृजेश सोनकर /जगन्नाथ निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
11- खेमलाल /जगन्नाथ निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
12- अहमद अली निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
13- रामखिलावन निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
14- निखिल निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
15- जमीला बानो निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
16- रजिया बेगम/मेहबूब खान निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
17- दामिर /गौरेया निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
18- सईदा बेगम निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
19- दिनेश गुप्ता/राजाराम निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
20- जमोती बाई/ गुटुख राख निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग
21- ढालसिंह निवासी - कलेक्ट्रेट परिसर के सामने तहसील व जिला दुर्ग --
अनावेदकगण

आदेश
(आज दिनांक 29/10/2021 को पारित)

आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग के पत्र क्रमांक 606 /भवन शाखा / डाटा सेंटर /2021 दुर्ग दिनांक 09/02/2021 को प्राप्त पत्र को जांच हेतु तहसीलदार नजूल को भेजा गया था । पुनः नगर पालिक निगम द्वारा पेश पत्र क्रमांक 31 दिनांक 09/06/2021 के अनुसार निकाय क्षेत्रान्तर्गत नजूल शीट क्रमांक 08 पर 21 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण केक संघ मे पट्टा निरस्त करने बाबत आवेदन प्रस्तुत होने पर यह पकरण तहसीलदार नजूल को जांच प्रतिवेदनार्थ प्रेषित किया गया था ।

2- तहसीलदार नजूल से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29/06/2021 के अनुसार नजूल शीट क्रमांक 08 भूखण्ड 1/3 क्षेत्रफल 12120 वर्गमीटर का भाग रा़ड़ नगर पालिका परिषद दुर्ग के नाम नाम नजूल संधारण खसरा में दर्ज है । उक्त भूमि पर पट्टा प्राप्तकर्ता तथा अतिक्रामकों का विवरण इस प्रकार है :-

पट्टेदार की सूची

क्रमांक	पट्टाधारी का नाम/पिता-पति का नाम	क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	राजीव गांधी आश्रय योजना 1998 के तहत् कब्जा	आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजन	कैफियत
1	2	3	4	5	6
1	भैयालाल/साहेबुआ	200.00	स्वयं पट्टेदार	आवासीय	100 वर्गफीट मे व्यवसायिक प्रयोजन

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग

Scanned with CamScanner

रा0प्र0क0/ई-कोर्ट रजि0 नं0 202106100400046 अ-20 (3) वर्ष 2020-21
संस्थित दिनांक 09/06/2021

अतिकामकों की सूची

कमांक	पटटाधारी का नाम/पिता-पति का नाम	क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	राजीव गांधी आश्रय योजना 1998 के तहत् कब्जा	आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजन	कैफियत
1	2	3	4	5	6
1	यासिन/परवीन	397.54	वेल्डिंग दुकान	व्यवसायिक	खरीदी बिकी से
2	नरोत्तम/दुलारसिंह	81.00	सेलून दुकान	व्यवसायिक	खरीदी बिकी से
3	मानसिंह/बनउनाथ	80.00	बढ़ई दुकान	व्यवसायिक	अतिकमण से
4	रामकुमार/फूलसिंह	108.00	आवासीय मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
5	पूनमचंद/सुन्दरलाल	198.00	डेली नीड्स की दुकान	व्यवसायिक	खरीदी बिकी से
6	देवव्रती लाटिया/छविलाल लाटिया	108.00	कार्यालयीन उपयोग हेतु	व्यवसायिक	किराए से
7	गायत्रीबाई सोनकर/गोपीराम सोनकर	198.00	फोटोकापी दुकान	व्यवसायिक	खरीदी बिकी से
8	विद्या देवांगन/महानंद	120.00	पक्का मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
9	बृजेश सोनकर/जगन्नाथ	187.00	टेलर्स, किराना	व्यवसायिक	खरीदी बिकी से
10	खेमलाल सोनकर/जगन्नाथ सोनकर	338.00	आवासीय मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
11	अहमद अली/	187.00	टेलर्स दुकान	व्यवसायिक	खरीदी बिकी से
12	रामखिलावन साहू/बिसाहूराम साहू	187.00	पार्लर	व्यवसायिक	ताला लगा है।
13	निखिल श्रीमती मुन्नीदेवी छाबड़ा/हेमन्त कुमार छाबड़ा	100.00	इलेक्ट्रानिक दुकान	व्यवसायिक	खरीदी बिकी से
14	जमीलाबानो	150.00	आवासीय मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
15	रजिया बेगम/महबूब खान	555.00	आवासीय मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
16	एस.दाविद /एस. मरियम	370.00	आवासीय मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
17	सईदा बेगम /नसरूद्दीन	450.00	आवासीय मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
18	दिनेश गुप्ता/राजाराम गुप्ता	180.00	आवासीय मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
19	जगोतीबाई/घुटरू	280.00	आवासीय मकान	आवासीय	खरीदी बिकी से
20	दालसिंह	104.00	कन्सट्रक्शन कार्यालय	व्यवसायिक	खरीदी बिकी से

3- राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत् तत्समय सर्वे के आधार पर अधिभोगियों को आवासीय पटटा जारी किया गया था , किन्तु लगभग सभी पटटाधारियों ने पटटे की शर्तों का उल्लंघन कर पटटे पर प्राप्त भूमि , पटटा , मलमा का विकय अन्य लोगों को कर दिया गया है तथा राजीव गांधी आश्रय योजना की कंडिका -01 पटटेदारों से आवंटित उक्त भूमि का उपपटटा , विकयपत्र, दानपत्र, बंधक के तौर पर या अन्य किसी रीति से समनुदेशन या अंतरण नहीं करेगा या उक्त भूमि बंधक का कब्जा नहीं छोड़ेगा जिससे कि उसका कोई विभाजन हो जाय , या पटटाधिकृत अधिकार के स्वरूप में अन्यथा परिवर्तन हो जाए ।

अनुविभागीय अधिकारी

पटटे की शर्तो का उल्लंघन उपरोक्त वर्णित तालिका क्रमांक –02 में उल्लेखित 20 व्यक्तियों द्वारा किया गया है ।

4– प्रकरण में नगरपालिक निगम दुर्ग द्वारा भी सभी पटटाधारियों/अतिक्रामकों को अपने स्तर पर नोटिस जारी कर उनका पक्ष श्रवण किया गया है तथा सम्पूर्ण नोटशीट सहित अनावेदकगणों की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर, दस्तावेजों की कापी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है ।

5– वार्ड नं0 38 दुर्ग कलेक्ट्रेट से लगी शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए समय समय पर विभिन्न शिकायतें हुई है , जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा टी0एल0 जनदर्शन तथा जनयाचिका में रखा गया है । अतिक्रमणधारियों के कारण मार्ग संकरा हो गया है तथा शासन की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमणधारियों ने कब्जा कर अपना आधिपत्य जमाए रखने से आवागमन अवरूद्ध हो रहा है । अतिक्रमण स्थल के समीप ही कलेक्ट्रेट परिसर का कार्यालय है, कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का कार्यालय है , जिसके कारण जिले भर के लोगों को आवागमन जिला कार्यालय तथा कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला न्यायालय परिसर , पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने के कारण अत्यधिक भीड़ का जमावड़ा होता है । पटटाधारियों द्वारा प्राप्त पट्टे की शर्तो का उल्लंघन करते हुए पटटा का विक्रय अन्य लोगों को कर दिया गया तथा पटटे की जमीन को किराए में देकर स्वयं अन्यत्र निवासरत है । इस प्रकार लगभग सभी पटटाधारियों द्वारा जिस प्रयोजन तथा उद्देश्य के लिए पटटा जारी किया गया है, उसके विपरीत उपयोग उपभोग किया जा रहा है ।

6– राजीव गांधी आश्रय योजना 1998 के तहत् (पटटाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 (क्रमांक 15 सन 1984) के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और नीचे दर्शाए गए निर्बधनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए पटटा जारी किया गया था :–

1– पटटेदार उसे आवंटित (उक्त) भूमि का उपपटटा , विक्रय पत्र, दानपत्र, बंधक के तौर पर या अन्य किसी रीति से समनुदेशन या अंतरण नहीं करेगा या उक्त भूमि बंधक का कब्जा नहीं छोड़ेगा जिससे कि उसका कोई विभाजन हो जाए, या पटटाधिकृत अधिकार के स्वरूप में अन्यथा परिवर्तन हो जाए ।

2– पटटेदार प्राधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना निवासगृह से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमि का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिए अनुज्ञान नहीं करेगा ।

3– अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के उल्लंघन में पटटेदार द्वारा किए गए किसी भी अंतरण से पटटाधृति अधिकार रद्द हो जाएगा ।

4– अधिनियम की धारा 3 –क की उपधारा (3) के अधीन यदि लोकहित में बस्ती को अन्यत्र व्यवस्थापन (स्थानांतरण) का विनिश्चय किया जाता है तो पटटाधृति अधिकार रद्द कर दिया जाएगा तथा पटटेदार का अन्यत्र व्यवस्थापन किया जाएगा ।

5– पटटेदार बस्ती विकास प्रभार 10 वर्षो तक प्रतिवर्ष रू0 1.50 प्रतिवर्गफीट की दर से 04 समान किश्तों में चुकायेगा ।

6– पटटाकर्ता आगे और प्रसंविदा करता है कि वह एतद् द्वारा मंजूर की अवधि के अंत में और तत्पश्चात किसी प्रकार समय समय पर तीस वर्षो की प्रत्येक क्रमवर्ती अवधि के अंत में जो कि पटटेदार (पटटाधारी) के निवेदन पर तथा खर्चे से मंजूर की जाएगी, उक्त भूमि के पटटे को तीस वर्षो की अवधि के लिए पटटा नवीनीकरण करके उसके नाम से निष्पादित करेगा ।

परन्तु पटटे के नवीनीकरण किए जाने के समय बस्ती विकास प्रभार बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीनीकृत पटटे में इसमें निर्बन्धन से शर्तो अर्न्तविष्ट होगी जो लागू होती हो तथा ऐसी अन्य शर्तो होगी जो कि पटटाकर्ता द्वारा भविष्य के लिए उचित समझी जाय ।

Scanned with CamScanner

रा0प्र0क्र0/ई–कोर्ट रजि0 नं0 202106100400046 अ–20 (3) वर्ष 2020–21
संस्थित दिनांक 09/06/2021

परन्तु यह और भी कि प्रत्येक क्रमवर्ती नवीनीकरण के समय नियत किया जाने वाले बस्ती विकास प्रभार तथा इस संबंध में अधिरोपित की जाने वाली शर्तें अंतिम होगी ।

7– इस न्यायालय द्वारा श्री सभी पटटाधारी/अतिक्रामक को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर उनका पक्ष श्रवण किया गया । न्यायालय में दिनांक 25/09/2021 को उपस्थित 1– पूनमचंद आ0 सुन्दरलाल, 2– नरोत्तम सिंह आ0 दुलार सिंह 3– श्रीमती देववती लाटिया पति श्री छबिलाल लाटिया 4– सईदा बेगम पति नसरूद्दीन 5– रजिया बेगम पति महबूब खान 6– एस.दाईद आ0 एस0 गौरैय्या 7– मो0 सगीर आ0 सराजुद्दीन, 8– श्रीमती गायत्रीबाई सोनकर पति स्व0 गोपीराम सोनकर की ओर से उनके पुत्र महेश कुमार सोनकर 9– भैयालाल आ0 साहेबुआ , 10 जमौतीबाई पति घुटरू 11– बृजेश सोनकर आ0 स्व0 जगन्नाथ सोनकर 12– रामखिलावन साहू आ0 स्व0 बिसाहूराम साहू 13– मानसिंह आ0 बनउनाथ का शपथपूर्वक बयान एवं दस्तावेज लिए गए । प्रकरण में अनावेदक रामकुमार साहू आ0 स्व0 श्री फुलसिंह साहू द्वारा अपना लिखित जवाब एवं दस्तावेज पेश किया है । दिनांक 27/09/2021 को उपस्थित श्रीमती मुन्नीदेवी छाबडा पति श्री हेमन्त कुमार छाबड़ा की ओर से मनीष कुमार जैन (निखिल शाप) द्वारा अपना शपथ कथन प्रस्तुत कर दस्तावेज पेश किए ।

8– उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सभी पटटाधारियों /अतिक्रामकों ने पटटाधृति अधिनियम के तहत प्राप्त पटटे की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । पटटे की शर्तों का उल्लंघन कर पटटे पर प्राप्त जमीन के स्वरूप में परिवर्तन करने , विक्रय, अंतरण करने , किराए पर देने तथा उपयोग उपभोग की शर्तो का उल्लंघन किया गया है । ऐसी स्थिति में जनहित में व्यापक रूप से हो रही शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए तथा शासन की करोड़ो की जमीनों पर पटटे की शर्तो के विपरीत आर्थिक लाभ कमाने उद्देश्य से पटटा, मलमा का विक्रय अन्य लोगों को किए जाने से 20 अतिक्रामकों द्वारा अपना अवैध कब्जा वादग्रस्त स्थल पर बनाया गया है । पटटे की शर्त क्रमांक 01 से 06 का उल्लंघन किए से सभी पटटाधारियों का पटटा निरस्त किया जाता है तथा आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग को आदेशित किया जाता है कि वे नियमानुसार पटटाधारियों/अतिक्रामकों वार्ड नं0 38 जिला कार्यालय परिसर के सामने स्थित उनके अप्राधिकृत कब्जे से बेदखली की कार्यवाही कर कब्जा मुक्त किया जावे । उपरोक्त कार्यवाही आगामी एक माह में सुनिश्चित की जावे । बेदखली की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार नजूल ,नगर पालिक निगम दुर्ग का राजस्व अमला तथा थाना प्रभारी दुर्ग समुचित बल के साथ मौके पर उपस्थित रहेगें तथा कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पंचनामा प्रतिवेदन सहित पालन प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगें ।

9– आज दिनांक को मेरे निर्देशन पर टंकित, मुद्रांकित , हस्ताक्षरित कर आदेश पारित कर खुले न्यायालय में उद्‌घोषित ।

(विनय कुमार पोयाम)
अनुविभागीय अधिकारी एवं
(प्राधिकृत अधिकारी रा0गा0आ0यो0 1998)
दुर्ग जिला दुर्ग